कि आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.11.16	पत्रावली पेश हुयी । उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कोटपूतली) ने उपस्थित होकर प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3374/2005 ब उनवानी छोटू एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी से सम्बन्धित भू–आवंटन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावें । अपने कथन के समर्थन मे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दस्तावेजात् पेश किये । हमने पैरोकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का अवलोकन किया । अपीलान्ट की ओर से पत्रावली पर रेस्पोडेन्टस को भू–आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवादित भूमि का आवंटी भू–आवंटन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर किया है। अब अपीलार्थी की ओर से पैरोकार सरकार ने उक्त विवादित भूमि से सम्बन्धित रेस्पोन्डेन्टस के हक में किया गया अलाटमैन्ट आदेश दिनांक 03/8/1979 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं. 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष में मन्सूख हो जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलाधीन आवंटन ही माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही मन्सूख हो गया है तो प्रश्नगत प्रकरण में किसी प्रकार की अग्रिम कार्यवाही की जाने का कोई ओचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरखास्त स्वीकार की जाकर पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। **निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया है।** अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)	